

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3701

11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष दवाओं की गुणवत्ता और मूल्य

3701. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री धनुष एम. कुमार:
डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को हाल के समय में आयुष दवाओं विशेषकर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाओं की कीमतों में हुई भारी वृद्धि की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या जन औषधि बिक्री केन्द्र के माध्यम से आयुष दवाओं की गुणवत्ता और मूल्य की प्रभावकारिता और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसी तंत्र की स्थापना के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण आयुष दवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ग) क्या सरकार की देश में आयुष दवाओं/औषधियों, विशेषकर जन औषधि बिक्री केन्द्रों पर आयुर्वेदिक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा देश में नकली आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने और उसे रोकने के लिए कोई कड़े उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार सूची क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण इकाई, इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) द्वारा निर्मित आयुष दवाओं की कीमतें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके अलावा, आयुष दवाओं के मूल्यों में कोई भारी वृद्धि दर्ज नहीं की गई है।

(ख): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख में आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी औषधियों के संबंध में लाइसेंस जारी करने तथा सुरक्षा अध्ययन और प्रभावकारिता के अनुभव/साक्ष्य की अपेक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों को निर्धारित किया गया है। निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करें, जिसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-न और अनुसूची-ड-1 के अनुसार अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिता में दी गई दवाओं के गुणवत्ता मानकों का अनुपालन शामिल हैं। इसके अलावा, आयुष दवाओं की कीमत के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

आईएमपीसीएल द्वारा विनिर्मित आयुष दवाओं की गुणवत्ता की जांच गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा की जाती है। आईएमपीसीएल विभिन्न सरकारी संगठनों/संस्थानों से प्राप्त आदेश के अनुसार आयुष दवाओं की आपूर्ति करता है।

सभी को सस्ती दर पर गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, देश के नागरिकों को सस्ती दर पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में समर्पित आउटलेट्स खोले गए हैं। प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत उत्पादों में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों, यथा कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबेटिक्स, एंटी-इनफेक्टिव्स, एंटी-अलर्जिक, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल मेडिसिंस, न्यूट्रिस्यूटिकल्स आदि की 1800 दवाओं और 285 सर्जिकल डिवाइस को शामिल किया गया है। इसके अलावा, प्रोटीन पाउडर, माल्ट-बेस्ड फूड सप्लिमेंट्स आदि जैसे विभिन्न न्यूट्रिस्यूटिकल उत्पाद भी उपलब्ध हैं। जन औषधि दवाओं की कीमतें आमतौर पर खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडयुक्त दवाओं की कीमतों के मुकाबले 50%-90% तक कम होती हैं।

(ग): आयुष उत्पादों यथा, आयु रक्षा किट, बाल रक्षा किट और आयुष-64 टैबलेट तथा *च्यवनप्राश*, त्रिफला, *शिलाजीत* और *अश्वगंधा* को प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) में शामिल किया गया है जिन्हें चयनित केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। महामारी के दौरान, आईएमपीसीएल द्वारा जन औषधि को आपूर्ति किए गए आयुष उत्पाद विभिन्न किट रूपों में हैं जिनमें *आयुष क्वाथ*, अणु तैल, च्यवनप्राश, *श्मशनी वटी*, बाल आयुष क्वाथ सिरप, आयुष-64 और *अश्वगंधा* टैबलेट्स शामिल हैं।

(घ) और (ङ): जी हां। नकली आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों से संबंधित प्रावधान, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33-डडक के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं और ऐसी किसी औषधि की बिक्री अथवा वितरण हेतु विनिर्माण के लिए डंड, धारा 33-झ के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 159 में लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने का प्रावधान है यदि लाइसेंसधारक, लाइसेंस की किन्हीं शर्तों अथवा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है।

जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 में निर्धारित है, गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का प्रवर्तन और आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी औषधियों के औषध लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में निहित है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160-क से ज में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और ताकत के ऐसे परीक्षण करने के लिए, जो आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंसधारक की ओर से इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित हों, औषध परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन हेतु विनियामक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आज की स्थिति के अनुसार, 35 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनकी अवसंरचनात्मक और कार्यात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों और कच्ची सामग्रियों की गुणवत्ता जांच के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत 95 प्रयोगशालाओं को अनुमोदन अथवा लाइसेंस दिया गया है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत एक आयुर्वेदिक दवा को गलत ब्रांड वाली और नकली दवा के रूप में देखा गया था और इसकी सूचना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को दे दी गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नकली आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की बिक्री और वितरण तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नकली आयुर्वेदिक और यूनानी दवा और की गई कार्रवाई का विवरण			
1.	दिल्ली	सेंथिल कुमार के माध्यम से राज्य बनाम गुलशन कुमार नाम से एक मामला दर्ज किया गया। केस संख्या कोर्ट केस/15760/2019.			
2.	हिमाचल प्रदेश	2018	1. मैसर्स एसबीएस बायोटेक, नाहन रोड, काला-अंब, सिरमौर 2. मैसर्स कुडोस लेबोरेटरीज, शोधी, जिला शिमला 3. मैसर्स एल्टिस लाइफ साइंसेज, साई रोड, बद्दी जिला, सोलन, हि.प्र. 4. मैसर्स श्री धन्वंतरि हर्बल्स, किशनपुरा, बद्दी जिला सोलन, हि.प्र.		
		2019	1. मैसर्स चरक फार्मा प्रा. लिमिटेड, बद्दी, जिला सोलन, हि.प्र. 2. मैसर्स चरक फार्मा प्रा. लिमिटेड, बद्दी, जिला सोलन, हि.प्र. 3. मैसर्स लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, पोंटा साहिब, जिला, सिरमौर, हि.प्र. 4. मैसर्स ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल, काला-अंब, जिला सिरमौर		
		2020	1. मैसर्स सेसा केयर (प्रा.) लिमिटेड, पोंटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.. 2. मैसर्स वैद्य न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड जिला सोलन 3. मैसर्स तिरूपति लाइफ साइंसेज, नाहन, सिरमौर 4. मैसर्स तिरूपति लाइफ साइंसेज, नाहन, सिरमौर 5. मैसर्स दिविसा हर्बल केयर, काला-अंब, सिरमौर		
		2021	शून्य		
		2022	1. मैसर्स श्री धन्वंतरि हर्बल्स, किशनपुरा, बद्दी, जिला सोलन, हि.प्र. 2. मैसर्स तिरूपति मेडिकेयर लिमिटेड, नाहन रोड, पोंटा-साहिब, जिला, सिरमौर, हि.प्र. 3. मैसर्स पोंटिका एयरोटेक लिमिटेड, ग्राम जोहरोन, पी.ओ. पुरुवाला. नाहन रोड, पोंटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.		
		चूककर्ताओं के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है।			
3.	गुजरात	उत्पाद का नाम	केस दायर करने की तारीख		
		तुलसी संतरा आश्व हर्बल टॉनिक	09-12-2022 (केस नंबर 2054-2022)		
		प्रशोवन टैब, प्राक्युरी कैप्सूल और प्रोटीजेंट टैबलेट	29-07-2022 (केस नंबर 21356/2022)		
		अश्वशाव आश्व हर्बल टॉनिक	05-05-2023 (केस नंबर 11692/2023)		
		ऑर्थोनिल पाउडर	कोर्ट केस की शुरूआत चल रही है		
4.	पश्चिमी बंगाल	निदेशालय ने पीपीवीसी, गामा पोर्टल, पुलिस केस, सामान्य शिकायतों आदि से प्राप्त इनपुट के अनुसार कार्रवाई की है। वर्ष 2023 में, 05 शिकायतों की जांच चल रही है, प्राप्त शिकायतों और वर्षवार की गई कार्रवाई इस प्रकार है: वर्ष 2020 में - 16, वर्ष 2021 में - 21.			
5.	उत्तर प्रदेश	चालू वर्ष में 01 मामला दर्ज किया गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित प्राधिकारी को चूककर्ताओं/कथित निर्माता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।			
6.	ओडिशा	शून्य			
7.	मणिपुर	शून्य			
8.	गोवा	शून्य			
9.	त्रिपुरा	शून्य			
10.	पुदुचेरी	शून्य			
11.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य			
12.	तमिलनाडु	शून्य			
13.	मिजोरम	शून्य			
14.	लक्षद्वीप	शून्य			
15.	चंडीगढ़	शून्य			
16.	जम्मू-कश्मीर	शून्य			
17.	महाराष्ट्र	विवरण निम्नानुसार हैं -			
क्र. सं	वर्ष	आयुर्वेदिक नमूने का नाम	जब्त की गई दवाओं/उत्पाद का नाम	रिपोर्ट संख्या	अंतिम कार्रवाई

1	2017-2018	1	1) दमा दमन चूर्ण 100 ग्राम, बी. नं. 1516, राज आयुर्वेदिक भक्ति नगर, जलपाइगुडी, पश्चिमी बंगाल द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एमयूएम/7 6149/2017 दिनांक- 13/06/2017	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 02/2020, दिनांक- 02/03/2020	
2		2	2) ज़ेबा जुल्फ़ - ए हेना बरगंडी, बी. नं. 02/01, एक्सेल इम्पेक्स, विलेज - व्लारिया, जिला- अहमदाबाद द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एमयूएम/9 0717/2018 दिनांक- 09/01/2018	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 02/2019, दिनांक- 15/11/2019	
3			सिंगलो जेल, बी.नं. एफसी336	सिंगलो जेल, बी.नं. एफसी336, विनिर्माण की तिथि: 02-2018, समाप्ति तिथि: 01-2020.	एनएसक्यू/एयूआर/1 17102/2019 दिनांक 18.03.2019	06 /एसडब्ल्यू/2020, दि. 7/01/2020
4			एआर कैप्सूल	एआर कैप्सूल	एनएसक्यू/एमयूएम/1 04597/2018 दिनांक 28.03.2018	79/ एसडब्ल्यू /2021, दि. 2/10/2021
5			नव जीवन कैप्सूल बैच नं. एनजे/049,	जब्त कीमत. 2640/-रु	एनएसक्यू/एमयूएम/7 8068/2017 दिनांक 18.02.2017	52/एसडब्ल्यू/2019, दिनांक: 08/02/2019
6			म्यूबेक्स पेन कैप्सूल बैच नं. एम-15 विनिर्मित	जब्त कीमत. 3040/-रु	एनएसक्यू/एमयूएम/7 8070/2019 दिनांक 12.01.2017	335/एसडब्ल्यू/2018, दिनांक: 27/11/2018
7			पौरुष जीवन कैप्सूल बैच नं. 1183,	जब्त कीमत 30720/-रु.	एनएसक्यू/एमयूएम/7 8069/2017 दिनांक 18.02.2017	336/एसडब्ल्यू/2018 दिनांक: 27/11/2018
8			रुमाविन टैबलेट बैच नं. बीपीटी -1015	रुमाविन टैबलेट बैच नं. बीपीटी -1015	एनएसक्यू/एमयूएम/7 7627/2017 दिनांक 03.01.2017	334/एसडब्ल्यू/2018 दिनांक: 27/11/2018
9			आर्थोविन कैप्सूल, मात्रा 20 x 30 टैब, बैच नं. बीएसी1116, विनि.तिथि: 01/2016, समा.तिथि: 12/2020,	आर्थोविन कैप्सूल, मात्रा 20 x 30 टैब, बैच नं. बीएसी1116, विनि.तिथि: 01/2016, समा.तिथि:12/2020	एनएसक्यू/एमयूएम/7 7659/2017 दिनांक 12.01.2017	1500361/एसडब्ल्यू/2018, 28.11.2018
10			रुमाविन टैबलेट, 18 x 60 टैब, बैच नंबर बीपीटी 1015, विनि.तिथि: 01/2016, समा.तिथि: 12/2020, बिड़ला फार्मास्यूटिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा बिड़ला भवन, रामनगर-335001 द्वारा विनिर्मित	रुमाविन टैबलेट, 18 x 60 टैब, बैच नंबर बीपीटी 1015, विनि.तिथि: 01/2016, समा.तिथि: 12/2020, बिड़ला फार्मास्यूटिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा बिड़ला भवन, रामनगर-335001 द्वारा विनिर्मित जब्त स्टॉक रु.10710/-	एनएसक्यू/एमयूएम/7 7662/2017 दिनांक 03.01.2017	1500360/एसडब्ल्यू/2018, 28.11.2018
11			बैच नंबर नहीं बताया गया। विनिर्माण किसने किया नहीं बताया गया।	आयुर्वेदिक उत्पाद पर जे.पी., एस.पी., टी, डी, एस.पी. लेबल हैं और गुजराती में विभिन्न रोगों के दावे हैं। जब्त गोडाउन में संपत्ति रु. 1,35,000/-	फॉर्म 13ए नंबर एनएसक्यू/एमयूएम/1 04162/2018, दिनांक 28.03.2018	मझगांव कोर्ट नंबर 15 1500047/SW/2021 दिनांक. 09.07.2021

12		1	1) दमा दमन चूर्ण 100 ग्राम, बी. नं. 1516, राज आयुर्वेदिक भक्ति नगर, जलपाइगुडी, प.बंगाल द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एमयूएम/7 6149/2017 दिनांक- 13/06/2017	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 02/2020, दिनांक- 02/03/2020
13		1	2) ज़ेबा जुल्फ - ए हेना बरगंडी, बी. नं. 02/01, बाय एक्सेल इम्पेक्स विलेज - व्लारिया, जिला- अहमदाबाद द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एमयूएम/9 0717/2018 दिनांक- 09/01/2018	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 02/2019, दिनांक- 15/11/2019
14	2018-2 019	1	टाइगर किंग क्रीम, बी. नं. टीकेटी-07, नमन इंडिया, बहेरी, ब्रह्मनान, यू.पी. द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर /105930/2018 दिनांक-19/07/2018	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 02/2020, दिनांक- 02/03/2020
15		2	पावर अप कैप्सूल, बी. नं. पीयूसी004, - नमन इंडिया, बहेरी, ब्रह्मनान, यू.पी. द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर /105929/2018 दिनांक-19/07/2018	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 03/2020, दिनांक- 02/03/2020
16			डॉ. जुनेजा रूप मंत्र एक आयुर्वेदिक औषधीय क्रीम बी. नं. आरएमसी 8141	एनएसक्यू/एयूआर/1 19020/2020 दिनांक 22/01/2020	जेएमएफसी, वाशी, नवी मुंबई में अभियोजन दायर किया गया (आरसीसी 2987/2022 दिनांक 27/06/2022)
17			सेक्सोफ़ास्ट कैप्सूल बी.एन.ओ. जी/018 समा.तिथि: दिनांक 01/2022, देवरत्न फार्मसी, मध्य प्रदेश द्वारा विनिर्मित, जब्त माल 28,94,704 रु.	एनएसक्यू/एमयूएम/1 18845/2019, दिनांक 16.02.2016	98/एसडब्ल्यू/2021 29.11.2021
18			1) सेक्सोफ़ास्ट टैबलेट के साथ अल्फा बूस्ट कैप्सूल का कॉम्बीपैक, 2) सेक्सोफ़ास्ट टैबलेट 3) आर्थो-एडस 3) मेनोक्लिक्स, फास्ट ग्लो स्किन एंटी एजिंग ऑयल फ्री बॉडी वॉश	1)एनएसक्यू/एमयूएम /118213/2019 दिनांक 28.01.2019, 2)एनएसक्यू/एमयूएम /118211/2019 दिनांक 28.01.2019	108/एसडब्ल्यू/2021, दि. 22/12/2021
19			आर्थोधन वटी, बैच नंबर एए/1207, विनि.तिथि- जुलाई 2018, समा.तिथि- जून 2021, एम.एल. नं. 465 - आयु, राज.,	एनएसक्यू/एमयूएम/1 20161/2019 दिनांक 19.08.2019	88/एसडब्ल्यू/2020, दि. 07/20/2020
20			मैसर्स ऋषि अमृत आयुर्वेद फार्मसी, 71, हरदीप कॉलोनी, 1-ए छोटी, श्री गंगानगर (राज.)। निवास स्थान - 3, वार्ड क्रमांक 21, 647, विनोबा बस्ती के सामने, प्रेम नगर, श्री गंगानगर - 335001 (राजस्थान)।	जोड़ों की देखभाल (ऋषि अमृत आयुर्वेदिक औषधि), पैक आकार- 30 गोलियाँ/कंटेनर, बी.नं.आरए -003, विनि.तिथि: मार्च- 18, समा.तिथि- फरवरी-23, एम.एल.नं. 555 (वर्ष) राज.	रिपोर्ट संख्या एनएसक्यू/एयूआर /116894/2018, दिनांक 29/12/2018। दिनांक 18.09.2019 को पुणे अदालत में अभियोजन दायर किया गया (केस नंबर 3773/2019)। सम्मन का इंतजार है।

21		श्री अमृत शालु प्रोप्राइटर, धन्वंतरी आयुर्वेदिक, बार्शी, सोलापुर।	1. पॉवरप्लस कैप्सूल- बैच नंबर- पीपीसी 3009; विनि.तिथि-जनवरी-2018; समा.तिथि-दिसंबर-2022; एम.एल.- क्रमांक-504 आयु-2018; हिमगिरी आयुर्वेदिक-सोलन-हि.प्र. द्वारा विनिर्मित। 2. हॉट शॉट कैप्सूल, बी.नंबर-009, विनि.तिथि-12/2017; समा.तिथि-विनि.तिथि से 5 वर्ष तक; एम.एल नं-36 आयु(एच); - एम.के. फार्मसी, सोनीपत, हरियाणा द्वारा विनिर्मित	रिपोर्ट संख्या एनएसक्यू/एयूआर /117005/2018, दिनांक 29/12/2018.	सोलापुर कोर्ट में मुकदमा दायर. आरसीसी 272/2020- 20/02/2020.
22		राघवेंद्र त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश	मेडीपिरिन टैबलेट, बी.नं.-2388, विनि.तिथि-2005, समा. तिथि- विनि. तिथि से 3 वर्ष तक, सपको लैब्स, सोनीपत द्वारा विनिर्मित		सोलापुर कोर्ट में मुकदमा दायर. आरसीसी 293/2020- 26/02/2020
23		1	टाइगर किंग क्रीम, बी. नं. टीकेटी-07, नमन इंडिया, बहेरी, ब्राह्मनान, यू.पी. द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर/10 5930/2018 दिनांक-19/07/2018	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 02/2020, दिनांक-02/03/2020
24		1	पावर अप कैप्सूल, बी. नं. पीयूसी004, नमन इंडिया, बहेरी, ब्राह्मनान, यू.पी. द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर/10 5929/2018 दिनांक-19/07/2018	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 03/2020, दिनांक-02/03/2020
25	2019-2020	1	क्रीम रंग का चूर्ण, बी. सं. नहीं बताया गया, विनिर्माण किसने किया नहीं बताया गया।	एनएसक्यू/एयूआर/12 0918/2020 दिनांक-21/01/2020	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 132/2023, दिनांक-26/04/2023
26		2	वात नाशक चूर्ण, बी. नहीं बताया गया है, विनिर्माण किसने किया नहीं बताया गया।	एनएसक्यू/एयूआर/12 0915/2018 दिनांक-21/01/2020	निगम न्यायालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 132/2023, दिनांक-26/04/2023
27			डॉ. गिरासे का ऊर्जा एक्स्ट्रा पीक कैप्सूल	डॉ.गिरासे ऊर्जा एक्स्ट्रा पीक कैप्सूल हेल्थ हर्बेज फार्मसी, प्लॉट नंबर जी-23, मीनाक्षीपुरम, मेरठ-250001, उत्तर प्रदेश	नकली आयुर्वेदिक आरसीसी 464/2019 डीटी। 15/05/2019, सीजेएम, नासिक
28			एनर्जिक, एक आयुर्वेदिक औषधि	एनर्जिक, एक आयुर्वेदिक औषधि, विनिर्माण किसने किया नहीं बताया गया।	नकली आयुर्वेदिक आरसीसी 464/2019 दिनांक 15/05/2019, सीजेएम, नासिक
29			डॉ.गिरासे का ऊर्जा एक्स्ट्रा पीक कैप्सूल	डॉ.गिरासे ऊर्जा एक्स्ट्रा पीक कैप्सूल हेल्थ हर्बेज फार्मसी, प्लॉट नंबर जी-23, मीनाक्षीपुरम, मेरठ-250001, उत्तर प्रदेश	नकली आयुर्वेदिक आरसीसी 464/2019 दिनांक 15/05/2019, सीजेएम, नासिक

30		लाल रंग का कैप्सूल पैक, सेल्फ लॉकिंग प्लॉयबैग में आयुर्वेदिक दवा एक्स्ट्रा-एफ कैप्सूल बताया जा रहा है	लाल रंग का कैप्सूल पैक, सेल्फ लॉकिंग प्लॉयबैग में कथित तौर पर आयुर्वेदिक दवा एक्स्ट्रा-एफ कैप्सूल, विनिर्माण किसने किया नहीं बताया गया।	नकली आयुर्वेदिक	आरसीसी 464/2019 दिनांक 15/05/2019, सीजेएम, नासिक	
31		सेल्फ लॉकिंग प्लॉयबैग में पैक किया गया सफेद रंग का पाउडर, जिसे आयुर्वेदिक दवा बताया गया है	सफेद रंग का पाउडर सेल्फ लॉकिंग प्लॉयबैग में पैक किया गया है, जिसे कथित तौर पर आयुर्वेदिक दवा विनिर्माण किसने किया नहीं बताया गया।	नकली आयुर्वेदिक	आरसीसी 464/2019 डीटी। 15/05/2019, सीजेएम, नासिक	
32		1	क्रीम रंग का चूर्ण, बी. सं. नहीं बताया गया, विनिर्माणकर्ता - नहीं बताया गया।	एनएसक्यू/एयूआर /120918/2020 दिनांक-21/01/2020	कॉर्पोरेशन कोर्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 132/2023, दिनांक-26/04/2023	
33		1	वात नाशक चूर्ण, बैच नहीं बताया गया है, विनिर्माण किसने किया नहीं बताया गया।	एनएसक्यू/एयूआर /120915/2018 दिनांक-21/01/2020	कापेरिशन न्यायालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू, क्रमांक 132/2023, दिनांक-26/04/2023	
34		1	विन विन प्लस बी.नं.3366, विनि. तिथि-01/18 समा.तिथि-विनिर्माण की तारीख से 4 साल के भीतर उपयोग करें।	vk;q\$laerh vkns'AS03&20\$14 fnukad 04\$01\$2020	अभियोजन शुरू कोर्ट केस नम्बर. 308/2020 दिनांक 18/01/2020	
35		1	गोली नाइट राइडरपिल्स, बी.नं.जीएनआर 101, विनि.तिथि-04/2018 समापन तिथि.03/2021	vk;q\$laerh vkns'AS02&20\$14 fnukad 04\$01\$2020	अभियोजन शुरू कोर्ट केस नं. 309/2020, दिनांक 18/01/2020	
36	2020-2021	1	1) गुलाबी रंग का पाउडर (कथ पाउडर) विनिर्माण किसने किया नहीं बताया गया।	एनएसक्यू/एयूआर /125304/2020 दिनांक-16/12/2022	अभियोजन की प्रतीक्षा है।	
37		2	2) कास्का इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर एमएफजी आरएसके फार्मसी, साहा हि. प्रदेश द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर /124880/2020 दिनांक-28/08/2020	जांच प्रक्रियाधीन है।	
38		3	3) मुगले आजम 3एक्स कैप्सूल अल-कौसर फार्मा, चेन्नई तमिलनाडु द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर /122022/2020 दिनांक-18/05/2020	सीजेएम नांदेड़, महाराष्ट्र में अभियोजन शुरू किया गया, संख्या-758/2022 दिनांक 11/08/2022	
39		4	4) ज्वाइन क्योर (गोल्ड कैप्सूल के साथ), के डी आर्य फार्मा पल्लाकड़ केरल द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर /123744/2020 दिनांक-22/04/2020	पुलिस जांच के तहत एफआईआर शुरू की गई	
40			मैसर्स ऋषि अमृत आयुर्वेद फार्मसी, 71, हरदीप कॉलोनी, 1-ए छोटी, श्री गंगानगर (राज.)। निवास स्थान - 3, वार्ड क्रमांक 21, 647, विनोबा बस्ती के सामने, प्रेम नगर, श्री गंगानगर -	गोल्ड प्लस कैप्सूल पैक साइज़- 01 कैप्सूल/कंटेनर, बी.सं.जीपी-0011, विनि.तिथि: अप्रैल 2018, समा.तिथि: मार्च-2022, एम.एल.नं. 555 (आयु) राज.	रिपोर्ट संख्या एनएसक्यू/एमयूएम/120612/2020, दिनांक 28/01/2020	दिनांक 24.08.2021 को पुणे अदालत में अभियोजन दायर किया गया। 2889/2021. सम्मन का इंतजार है.

	335001 (राजस्थान)।			
41	हनमंत कुंडलिक कोली, मायाक्का देवी मंदिर के पास, काला माला रोड, कोलीवस्ती, ए/पी-पेड, तालु.-तासगांव, जिला-सांगली	सुनहरे रंग की गोली गुग्गुल बताई जा रही है	एनओपी/एमयूएम/12 2485/2020 दिनांक-20/01/2020	सांगली अदालत में अभियोजन दायर किया गया। आरसीसी नंबर 477/2021 दिनांक. 22/9/21
42	पाउडर	आयुर्वेदिक पेन निल पाउडर	रिपोर्ट नंबर:125890/एनएसक्यू रिपोर्ट दिनांक:15/03/2021	सहमति हेतु लंबित
43	कैप्सूल	मुगले आजम 3x कैप्सूल	रिपोर्ट नंबर:125165 / एनएसक्यू रिपोर्ट दिनांक :22/10/2020	सहमति हेतु लंबित
44	डॉ. जुनेजा का नया रूप मंत्र एक आयुर्वेदिक प्राकृतिक क्रीम,	बैच संख्या आरएमसी 9117, विनिर्माण तिथि. दिनांक-11/2019, समापन तिथि दिनांक-10/2022, विनिर्माण लाइसेंस. क्रमांक यूके.एवाई. 290/2014, शुद्ध वजन:- 30 ग्राम, इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स यूनिट-2, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-18, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड), भारत, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-1बी, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड) द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एमयूएम/1 24288/2021 दिनांक - 12/02/2021	117/एसडब्ल्यू/2022, दि. 01/11/2022
45	डॉ.जुनेजा का नया रूप मंत्र एक आयुर्वेदिक प्राकृतिक क्रीम	बैच संख्या: आरएमसी 9115, विनिर्माण तिथि: 11/2019, समा.तिथि: 10/2022, इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स यूनिट-2, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-18, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड), भारत, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-1बी, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार- 249403 (उत्तराखंड) द्वारा विनिर्मित,	एनएसक्यू/एमयूएम /124290/2021 दिनांक - 12/02/2021	
46	डॉ. जुनेजा का नया रूप मंत्र एक आयुर्वेदिक प्राकृतिक क्रीम	बैच संख्या आरएमसी 9118, -11/2019, समापन तिथि-10/2022 विनिर्माण लाइसेंस क्रमांक यूके.एवाई.290/2014, शुद्ध वजन:- 15 ग्राम, इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स यूनिट-2, प्लॉट	फॉर्म 13ए संख्या एनएसक्यू/एमयूएम/1 24289/2021 दिनांक - 10/02/2021	

			नंबर 29, सेक्टर-18, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड), भारत, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-1बी, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार- 249403 (उत्तराखंड) द्वारा विनिर्मित		
47		डॉ. जुनेजा का रूप मंत्र एक आयुर्वेदिक प्राकृतिक क्रीम	बैच संख्या आरएमसी 9108 विनिर्माण तिथि- 11/2019 समा. तिथि- 10/2022 विनिर्माण लाइसेंस क्रमांक यूके.एवाई.290/2014 शुद्ध वजन- 60 ग्राम एम.आर.पी.146/-, इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स यूनिट-2, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-18, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड), भारत, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-1बी, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार- 249403 (उत्तराखंड) द्वारा विनिर्मित	फॉर्म 13ए संख्या एनएसक्यू/एमयूएम/1 24287/2021 दिनांक - 10/02/2021	
48	2021-2 022	1	1) सैनिसेफ हैण्ड रब, बी.नं. आरएल11, मैसर्स रॉयल बंगाल हेल्थ केयर वापी, गुजरात द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर /130389/2022 दिनांक 15/02/2022	अभियोजन की प्रतीक्षा है
49		1) अशमो चूर्ण बी.नं.01 विनिर्माता- रुषभ मेडिसिन्स, वसई	1)अशमो चूर्ण बी.नं.01 विनिर्माता- रुषभ मेडिसिन्स, वसई	1)एनएसक्यू/ एमयूएम /129457/2022 दिनांक 30/03/2022	1)जेएमएफसी वसई अदालत में अभियोजन दायर किया गया (आरसीसी 1738/2022 दिनांक 23/06/2022)
50		2)रुमन टैबलेट बी.नं.05, विनिर्माता- रुषभ मेडिसिन्स, वसई	2)रुमन टैबलेट बी.नं.05, विनिर्माता-रुषभ मेडिसिन्स, वसई	2)एनएसक्यू/ एमयूएम 129458/2021 दिनांक 02/10/2021	2) जेएमएफसी वसई अदालत में अभियोजन दायर किया गया (आरसीसी संख्या 1737/2022 दिनांक 23/06/22)
51		रोज़वेंजर हैंड सैनिटाइज़र	रोज़वेंजर हैंड सैनिटाइज़र रोज़वेंजर फार्मा प्राइवेट, लिमिटेड, अहमदाबाद	नकली आयुर्वेदिक	आरसीसी 790/2021 सीजेएम जलगांव दिनांक 15/09/2021
52		कैप्सूल	मुगले आजम 3x कैप्सूल	रिपोर्ट नंबर:129940/ एनएसक्यू रिपोर्ट दिनांक :09/04/2022/8408	सहमति हेतु लंबित
53		मैसर्स राजलक्ष्मी हर्बल, प्लैट नंबर 26ए, चौथी मंजिल, मौली कॉम्प्लेक्स, ए/पी ओटूर, ताल-जुन्नार, जिला पुणे- 412409	कोरपैड शैम्पू शिकाकाई शैम्पू खड़ड़ू चक्का दर्द निवारक तेल, आई ड्रॉप	बिना लाइसेंस के बनाई आयुर्वेदिक दवाएं रिपोर्ट संख्या एनओपी/एमयूएम/12 9847/2021 दिनांक 16/12/2021, एनओपी/एमयूएम/12	17/04/2023 को निर्णय हुआ: - अभियुक्त को अदालत उठने तक साधारण कारावास भुगतने और 20,000/- (बीस हजार केवल) का जुर्माना अदा करने की

			9846/2022 दिनांक 25/02/2022 और एनओपी/एमयूएम/12 9848/2021 दिनांक 28/02/2022।	सजा सुनाई गई चूक होने की स्थिति में 15 दिन का साधारण कारावास।	
54			कथित तौर पर आयुर्वेदिक पाउडर पाउच, बी.नं. का उल्लेख नहीं, विनिर्माण तिथि का उल्लेख नहीं, समापन तिथि. का उल्लेख नहीं, विनिर्माता का उल्लेख नहीं।	एनएसक्यू/एनएजी/1 04478/2018 दिनांक 27/4/2018	अभियोजन शुरू किया गया सी.सी.नं 140/2022 दिनांक 16/02/2022
55			कथित तौर पर अर्थलगिन कैप्सूल (बिना लेबल के प्लास्टिक पाउच में 30 कैप्सूल का पैक) बी.नंबर. का उल्लेख नहीं, विनि.तिथि का उल्लेख नहीं, समा.तिथि का उल्लेख नहीं।	एनएसक्यू/एनएजी/1 04367/2018 दिनांक 12/03/2018	अभियोजन शुरू किया गया, सी.सी.नं.136/2022 दिनांक 16/02/2022
56			जी-10 कैप्सूल, बी.नं.जी.के 001, निर्माण तिथि- अप्रैल,2016 समापन तिथि- मार्च, 2021,	एनएसक्यू/एयूआर/1 16878/2018 दिनांक 28/11/2018	अभियोजन शुरू किया किया गया, सी.सी.नं 139/2022 दिनांक 16/02/2022
57			स्ट्रोम हैंड सैनिटाइजर बैच नंबर. एस.एम 001 विनिर्माण तिथि. 03/2020	एनएसक्यू/एमयूएम/1 24819/2020 दिनांक 29/09/2020	अभियोजन शुरू किया गया सी.सी.नम्बर. 657/2022 दिनांक 11/02/2022
58			स्ट्रोम हैंड सैनिटाइजर बैच नंबर. एस.एम 003 विनिर्माण तिथि. 03/2020 समापन तिथि.02/2023	एनएसक्यू/एमयूएम/1 24823/2020 दिनांक 29/09/2020	अभियोजन शुरू किया गया सी.सी.नम्बर. 657/2022 दिनांक 11/02/2022 लॉन्च
59			टाइगर किंग कैप्सूल बैच नंबर.टीकेसी-04, समापन तिथि.03/2020	एनएसक्यू/एमयूएम/1 02860/2018 दिनांक 28/03/2018	अभियोजन शुरू किया गया सी.सी.नम्बर. 199/2022 दिनांक 8/3/2022
60			टाइगर किंग कैप्सूल बैच नंबर.टीकेसी-007, समापन तिथि.03/2020	एनएसक्यू/एमयूएम/1 02830/2018 दिनांक 28/01/2019	199/2022 दिनांक.8/3/2022
61			पावर क्लीन हैंड सैनिटाइजर, बैच नंबर.1120/01 समापन तिथि.09/2022	एनएसक्यू/एनएजी/1 26889/2021 दिनांक 04/02/2021	अभियोजन शुरू किया गया सी.सी.नम्बर. 14472/2022 दिनांक.19/7/2022
62			एस बी क्लीजर हैंड सैनिटाइजर 70% एथिल अल्कोहल बी.नं.245/2009 विनिर्माण तिथि. अगस्त /2020, समापन तिथि.जुलाई 2022	एनएसक्यू/एनएजी/1 2903/2022 दिनांक 21/10/2021	अभियोजन शुरू किया गया सी.सी.नम्बर. सी.सी.नम्बर. 16662/2022 दिनांक.08/08/2022
63	2022-2 023	1	1½ आम वात वयार वटी, बी.नं.55पी5001, श्री संत फार्मसी अमृतसर पंजाब द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर/1 34164/2022 दिनांक -22/11/2022	जांच प्रक्रियाधीन है
64		2	जोड़ों के दर्द के लिए 2½ ऑर्थो क्योर पाउडर, बी.नं.	एनएसक्यू/एयूआर/1 34227/2022 दिनांक	जांच प्रक्रियाधीन है

		0सीसी 003, आर डी आर्या फार्मा, पलक्कड़, केरल द्वारा विनिर्मित	-22/11/2022	
65	3	3½ स्वास्तिक ज्वाइन क्योर (सोने के रंग के कैप्सूल के साथ), बी.नं. जेसी0124, आर डी आर्या फार्मा पलक्कड़ केरल द्वारा विनिर्मित	एनएसक्यू/एयूआर/1 34226/2022 दिनांक -22/11/2022	जांच प्रक्रियाधीन है
66	4	4½ ऑर्थो प्लस डबल स्ट्रैथ टेबलेट-, बी.नं. वीएमआर20, विनिर्माता - वैद्य श्री फार्मास्युटिकल, श्री गंगा नगर, राजस्थान	एनएसक्यू/एयूआर/1 34230/2022 दिनांक -22/11/2022	जांच प्रक्रियाधीन है
67	5	5½ गुरुकृपा आयुर्वेदिक औषधि जी-10 कैप्सूल, बी.नं. जीके001, विनिर्माता - गुरुकृपा आयुर्वेदिक फार्मसी, मोहाली, पंजाब	एनएसक्यू/एयूआर/1 34224/2022 दिनांक -02/11/2022	जांच प्रक्रियाधीन है
68	6	6½ टाइगर किंग कैप्सूल, बी.नं. टीकेसी-001, विनिर्माता- हर्बो इंडिया, मोरादाबाद	एनएसक्यू/एयूआर/1 34239/2022 दिनांक -02/11/2022	जांच प्रक्रियाधीन है
69	7	7½ एनके-10 (नाइट किंग कैप्सूल), बी.नं. के 1008, विनिर्माता - संजीवनी आयुर्वेदिक फार्मसी, भटिंडा, पंजाब	एनएसक्यू/एयूआर/1 34241/2022 दिनांक -02/11/2022	जांच प्रक्रियाधीन है
70	8	8½ बाबा आयुर्वेदिका ज्वाइंटैक्स टैबलेट, बी.नं. बीए 17, विनिर्माता - बाबा आयुर्वेद फार्मसी, श्रीनगर	एनएसक्यू/एयूआर/1 34225/2022 दिनांक -26/12/2022	जांच प्रक्रियाधीन है
71		प्योरेस्ट एडवांस्ड हैंड सैनिटाइजर्स	नकली आयुर्वेदिक सेनिटाइजर कलरकेम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंदौर	एससीसी 3222/2022 सीजेएम नासिक दिनांक 14/07/2022
72		रसना कैप्सूल	रसना कैप्सूल सतपुड़ा आयुर्वेद भवन, बुरहानपुर म.प्र	एससीसी 269/2023 सीजेएम नासिक दिनांक 11-05-2023
73		ग्रामसिल हैंड क्लिनिंग रब हैंड	ग्रामसिल हैंड क्लिनिंग रब हैंड श्री गणेश आयुर्वेदिक फार्मा येओला, जिला नासिक	आरसीसी 181/2022 दिनांक 20-07-2022
74		गोल्ड ड्रॉप्स के साथ सुवर्णप्राश	"गोल्ड ड्रॉप्स के साथ सुवर्णप्राश" तन्वी हेल्थकेयर, नंबर-15, आनंद एस्टेट, जामनगर ट्रांसपोर्ट के सामने, एशियन पेंट्स के पास, असलाली, अहमदाबाद	आर.सी.सी. 2271/2022, सीजेएम धुले, दिनांक 16/11/2022
75		"मेदरी गोलियाँ"	"मेदरी टैबलेट्स" अभय आयुर्वेदिक फार्मसी, बी-34/35, एम.आई.डी.सी., उस्मानाबाद-41350	जांच जारी है. दिनांक 01/08/2023 को अभियोजन आदेश प्राप्त हुआ

		(महाराष्ट्र)		
76	विडंगादि चूर्ण	विडंगादि चूर्ण, शीतवल्कल फार्मास्यूटिकल्स, 360, निकम गली, धिकपुरे, तालुक- राधानगरी, जिला. कोल्हापुर	नकली आयुर्वेदिक	आर.सी.सी. 1013/2022, सीजेएम अहमदनगर दिनांक 16/07/2022
77	गंगा मेडिकल एजेंसीज, कराड, सतारा से नमूना एवं जब्ती	आर्थोविन कैप्सुल्स, बी. नं. बीएसी-1174, विनिर्माता-मैसर्स बिडला फार्मा प्रा. लिमिटेड, राजस्थान,	रिपोर्ट संख्या एनएसक्यू/एयूआर /116894/2018, दिनांक 29/12/2018.	अभियोजन दायर किया गया. आरसीसी नं. 93/2023, दि. 12.05.2023 आईपीसी 274.275,276,336,337, 420
78	मैसर्स इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स, यूनिट-2, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-18, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड), भारत	डॉ. जुनेजा का रूप मंत्र एक आयुर्वेदिक औषधीय क्रीम, शुद्ध वजन:-30 ग्राम, बैच संख्या- आरएमसी 957, विनिर्माण तिथि- 05-2019 विनिर्माण लाइसेंस सं.यूके.एवाई.290/2014, समा.तिथि-04-2022	एनएसक्यू/एमयूएम/1 21840/2021 दिनांक -18/03/2021	सांगली अदालत में अभियोजन दायर किया गया। आरसीसीएनओ 717/2022 दिनांक 28/12/2022
79	मैसर्स इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स, यूनिट-2, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-18, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड), भारत	डॉ.जुनेजा का रूप मंत्र, एक आयुर्वेदिक औषधीय क्रीम- 30 ग्राम, बैच नं. आरएमसी 8143, विनिर्माण तिथि- 09/2018, समा.तिथि- 08/2021	एनएसक्यू/एयूआर/1 19060/2020, दिनांक 22/01/2020	अभियोजन दायर किया गया. आरसीसी नं. 243/2023, दि. 18/01/2023. धारा 33ईईबी, धारा 33ईईसी(ए)(i)
80	ऋण लाइसेंस के तहत- बजाज कॉर्प लिमिटेड द्वारा इंडो हर्बल उत्पाद की यूनिट-2, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-1बी, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड), भारत।	"आयुर्वेदिक एंटीमाक्स क्रीम" शुद्ध वजन:-25 ग्राम, बैच संख्या- आईबी00060, विनिर्माण तिथि-09/2018, समा.तिथि-08/2021	एनएसक्यू/एयूआर/1 20412/2020, दिनांक 22/01/2020	अभियोजन दायर किया गया. आरसीसी नं. 552/2023, दि. 14/02/2023. धारा 33ईईबी, धारा 33ईईसी(ए)(i).
81	मैसर्स इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स, यूनिट-2, प्लॉट नंबर 29, सेक्टर-18, आईआईई, रानीपुर, सिडकुल, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड), भारत	डॉ.जुनेजा का रूप मंत्र, एक आयुर्वेदिक औषधीय क्रीम - 15 ग्राम, बैच नं. आरएमसी 8162, विनिर्माण तिथि- 11/2018, समापन तिथि-10/2021	एनएसक्यू/एयूआर/1 19865/2020, दिनांक 22/01/2020	अभियोजन दायर किया गया. आरसीसी नं. 782/2023, दि. 08/03/2023. धारा 33ईईबी, धारा 33ईईसी(ए)(i).